पत्रांक-विधि-4 (1)/परिपत्र भाग-5 /(2017-18)/ 1324 /1718086 /वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: 31 लखनऊ, जनवरी, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनाक 01 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू की गयी कर प्रणाली के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण में आ रही व्यापारियों की समस्याओं के दृष्टिगत कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा यू0पी0 वैट नियमावली के नियम 45 (7) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2016-17 की वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ऐ, 52बी) दाखिल करने की समय-सीमा परिपत्र सं0 विधि-4/परिपत्र भाग-3/2016-17/1106/1718044/वाणिज्य कर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ायी गयी। पुनः परिपत्र सं0 विधि-4/परिपत्र भाग-5/2017-18/1774/1718076/ वाणिज्य कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा से वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि 31 जनवरी 2018 तक बढ़ायी गयी।

जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2018 से पूरे देश में एक साथ अन्तर्प्रान्तीय सम्व्यवहारों पर नेशनल ई-वे बिल लागू करने का निर्णय लिया गया है। जी0एस0टी0 से सम्बंधित कार्यों में व्यस्तता के कारण कुछ अधिवक्ता संगठनों द्वारा वर्ष 2016-17 की वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। वेबसाइट पर उपलब्ध MIS के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिये दिनांक 31.01.2018 तक 167022 वार्षिक विवरणी दाखिल हुयी है, जो कुल एक्टिव व्यापारियों की संख्या 832037 के सापेक्ष 20.07 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2015-16 के लिये कुल 341400 वार्षिक विवरणी दाखिल हुयी थीं, जो कुल एक्टिव डीलर्स की संख्या 832885 के सापेक्ष 40.99 प्रतिशत रही है।

उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2016-17 के लिये (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल किये जाने की तिथि अन्तिम रुप से दिनांक 28 फरवरी 2018 तक बढ़ायी जाती है।

तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए समस्त अधिवक्ता संघों तथा व्यापारिक संघों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

31/1/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।